

स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति का अध्ययन

डॉ० आरती कुमारी

M.A., Ph.D., (Home Science)

B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur (Bihar)

सारांश

स्वयं सहायता समूह गरीब व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह होते हैं। ये व्यक्ति सामान्यतः एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले होते हैं। स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को नियमित रूप से छोटी-छोटी बचत करने के लिए प्रेरित करते हैं इस बचत की राशि (जिसे सामूहिक निधि कहा जाता है) में से सदस्यों को छोटे-छोटे ऋण प्रदान किए जाते हैं शेष राशि को बैंक में स्वयं सहायता समूह के नाम से खाता खोलकर जमा किया जाता है। इस प्रकार लगभग छः माह के पश्चात बैंक इन्हें इनकी पात्रता अनुसार ऋण प्रदान करते हैं।

कूट शब्द: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमी

प्रस्तावना

भारत वर्ष में आरम्भ से ही महिलायें पुरुष प्रधान समाज में अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती आयी हैं। अकेली महिला के लिए अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ कर पाना अथवा आत्मनिर्भर बन पाना आसान नहीं है। महिलायें चाहकर भी आसानी से अपने परिवार की आर्थिक प्रगति में योगदान नहीं कर सकती हैं यही कारण है कि महिलाओं में छिपी प्रतिभायें भी आजीवन सुसुप्त अवस्था में रहती है, यहीं पर समूह की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। महिलाओं द्वारा समूह में आपसी बातचीत तथा चर्चा से आपस में न केवल विश्वास बढ़ता है वरन् छोटी-छोटी बचत भी जब एक साथ जुड़ जाती है तो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम स्वतः ही अग्रसर होने लगते हैं आपसी लेनदेन उन्हें एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जोड़ता है और बैंकों से चर्चा आदि उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है तथा साथ-साथ परिवार को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने की भावना भी प्रबल होती जाती है। अतः स्वयं सहायता समूह एक समग्र सशक्तीकरण कार्यक्रम है।

उद्देश्य

स्वयं सहायता समूह में संलग्न महिला उद्यमियों की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना।

अध्ययन पद्धति शोध

अध्ययन हेतु होशंगाबाद जिला का चुनाव किया गया है। इसी जिले से २० स्वयं सहायता समूह लिए गए हैं तथा ३०० निदर्श पर अध्ययन किया गया है। अध्ययन में सांख्यिकीय टूल, 'टी' टेस्ट, प्रमाण विचलन तथा मध्यमान का उपयोग किया गया है।

परिणाम

सारणी १ : जाति

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	सामान्य	३६	१२.०
२	अन्य पिछड़ा वर्ग	१०७	३५.६
३	अनुसूचित जनजाति	२४	८.०
४	अनुसूचित जाति	१०८	३६.०
५	अल्पसंख्यक	२५	८.३
	कुल	३००	६६.६

सर्वेक्षण से प्राप्त समूहों के विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि चयनित समूहों में सामान्य वर्ग के सदस्यों की संख्या १२.० प्रतिशत थी। अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की संख्या ३५.६ प्रतिशत थी तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिशत ३६.० था एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत ८.० रहा। जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों की संख्या ८.३ थी, इस तालिका से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश समूहों को अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा गठित किया गया है।

सारणी २ : आयु

क्रम संख्या	आयु (वर्ष)	संख्या	प्रतिशत
१	१८-२५	६०	३०.०
२	२६-३५	११७	३९.०
३	३६-४५	६६	२२.०
४	४५ वर्ष से अधिक	२७	९.०
	कुल	३००	१००.०

प्रमाण विचलन-५३.४५

प्रमाण विचलन गुणांक-०.७१

उपरोक्त तालिका चयनित समूह के सदस्यों की आयु को दर्शाती है, सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि चयनित समूहों में ३०.० प्रतिशत सदस्यों की आयु १८-२५ वर्ष के बीच थी, इसी प्रकार ३९.० प्रतिशत सदस्यों की आयु २६-३५ वर्ष के बीच पायी गयी, २२.० प्रतिशत सदस्यों की आयु ३६-४५ वर्ष के मध्य थी तथा ९.० प्रतिशत सदस्यों की आयु ४५ वर्ष से अधिक थी।

सारणी ३ : पारिवारिक सदस्यों की संख्या

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	१-३	८२	२७.३
२	४-६	१५७	५२.३
३	७-९	१०	३.३
४	९ से अधिक	५१	१७.०
	कुल	३००	६६.६

पारिवारिक सदस्यों की संख्या का समूह निर्माण से सम्बन्ध है क्योंकि जितने अधिक सदस्य परिवार में होंगे सम्भवतः उतनी ही अधिक धन की आवश्यकता परिवार को होती है। यह देखा गया है कि निम्न एवं मध्यम वर्ग

ही समूह निर्माण एवं उसका सांलन करते रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि २७.३ प्रतिशत परिवारों में १-३ सदस्य हैं वहीं सर्वाधिक ५२.३ प्रतिशत परिवारों में ४-६ के मध्य सदस्य हैं, ७-९ के मध्य सदस्यों की संख्या का प्रतिशत ३.३ तथा ९ से अधिक सदस्यों की संख्या वाले परिवारों का प्रतिशत १७.० है।

सारिणी ४: उद्योग चलाने में समूह एवं परिवार का पूरा सहयोग

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	हाँ	२८१	६३.०
२	नहीं	१६	६.३
	कुल	३००	६९.६

उपरोक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि ६३.६ प्रतिशत समूह की महिलायें मानती हैं कि उन्हें परिवार का सम्पूर्ण सहयोग मिलता है, वहीं ६.३ प्रतिशत मानती हैं कि उन्हें कई स्थितियों में परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं पाता किन्तु आर्थिक स्वतंत्रता की चाह के चलते वे समूह में कार्य कर रहीं हैं।

सारिणी ५ : स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा व्यवसाय चुनने का कारण

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	आर्थिक तंगी	१५८	५२.६
२	आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता	६३	३१.०
३	शिक्षा एवं समय का सदुपयोग	४९	१६.३
	कुल	३००	६९.६

प्रमाण विचलन-४५.३

प्रमाप विचलन गुणांक-१.७६

उपरोक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि ५२.६ प्रतिशत महिलायें आर्थिक तंगी के कारण ही समूह का गठन करती हैं। वहीं ३१.० प्रतिशत मानती है कि आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और १६.३ प्रतिशत शिक्षा एवं समय का सदुपयोग के कारण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।

सारिणी ६ : स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की सामाजिक स्थिति में सुधार

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	संतोषप्रद	१७२	५७.३
२	असंतोषप्रद	१६	५.३
३	अच्छा	७१	२३.६
४	बहुत अच्छा	४१	१३.६
	कुल	३००	६९.८

प्रमाप विचलन गुणांक-१.७८

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ५७.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संतोष प्रगट किया, ५.३ प्रतिशत ने आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रति असंतोष बताया वहीं २३.६ प्रतिशत ने आर्थिक स्थिति में सुधार के बारे में अच्छा बताया और १३.६ प्रतिशत समूहों के सदस्यों ने बताया कि समूहों से जुड़ने के पश्चात् उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गयी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं सहायता समूहों के अधिकांश सदस्यों की आर्थिक स्थिति में समूह से जुड़ने के पश्चात अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

सारिणी-७: स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात सदस्यों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन

प्रमाण विचलन गुणांक-१.७८

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	प्रतिशत
१	संतोषप्रद	२७३	६१.०
२	असंतोषप्रद	६	२.०
३	अच्छा	६	३.०
४	बहुत अच्छा	१२	४.०
	कुल	३००	१००.०

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ६१.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समूहों के सदस्यों की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में संतोष व्यक्त किया जबकि २.० प्रतिशत सदस्यों ने असंतोष प्रगट किया, ३.० प्रतिशत सदस्यों ने बताया कि समूहों में शामिल होने के पश्चात उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो गयी है जबकि ४.० प्रतिशत सदस्यों ने बताया कि समूह के सदस्य बनने के पश्चात समूहों के सदस्यों की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो गयी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं सहायता समूहों के अधिकांश सदस्यों के समूहों से जुड़ने के पश्चात उनकी सामाजिक स्थिति में बेहद सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता लाने में स्वयं सहायता समूह बहुत कारगर हो सकते हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलायें न केवल नियमित बचत करने के लिए प्रेरित होंगी और उनकी छोटी-मोटी ऋण सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति होगी बल्कि वे साथ मिल बैठकर आपसी चर्चा, विचार विमर्श से अन्य समस्याओं का समाधान कर सकती हैं तथा विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी आय भी बढ़ा सकती है। दरअसल वे समूह छोटे-छोटे बैंकों का काम करते हैं जो आपात स्थिति में जरूरत अनुसार सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराकर महिलाओं और उनके परिवारों को साहूकारों के अपमानजनक व्यवहार व अत्याधिक ब्याज दर तथा ऋण के जाल से मुक्ति दिलाते हैं।

संदर्भ :

1. Puha, Zhend V, Satyasai KJS. Micro-finance and rural people: An Impact Evaluation, NABARD, Mumbai, 2000.
2. Ibid.
3. Abbas, Bhuiya. Micro-credit and emotional well being. Experience of Poor Rural Women from Matlab Bangladesh. World Development. 2001, 29(11).
4. Ibid.
5. Thomas, Fisher, Shriram MS. Beyond micro-credit, putting development bank into micro-finance, Vistaar Publication, New Delhi, 2002.